भारत डोगरा

जीएम बीजों की सच्चाई सामने आनी चाहिए

हाल के वर्षों में विश्व की कुछ सबसे बड़ी व शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने विश्व के कृषि व खाद्य क्षेत्र में अपना आधिपत्य बढ़ाने के प्रयास तेज़ किए हैं। सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रयास बीज क्षेत्र में हुए हैं। बीज क्षेत्र पर नियंत्रण के ज़रिए कृषि व खाद्य व्यवस्था पर नियंत्रण करना कठिन नहीं होगा।

चंद बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बीज क्षेत्र की अनेक छोटी कंपनियों को खरीद लिया है और बीज उद्योग पर अपना वर्चस्व कायम करने की दिशा में तेज़ी से बढ़ रही हैं। इससे पहले उन्हीं से जुड़े तत्वों ने विकासशील देशों में किसानों की बीज सम्बंधी आत्मनिर्भरता को कम करने की नीतियां लागू करवाईं जिससे किसान अपने बीज स्वयं न बचा सकें और बाज़ार पर निर्भर हो जाएं।

बीज व कृषि पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए ये बीज कंपनियां जीएम तकनीक अपना रही हैं। जीएम फसलों के स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण पर अनेक अति गंभीर संभावित खतरों के बावजूद ये कंपनियां जीएम तकनीक अपना रही हैं क्योंकि इस तकनीक पर चंद कंपनियों का बेहद केंद्रीकृत नियंत्रण संभव है।

हाल ही में इन कंपनियों ने भारत में अपना प्रचार-प्रसार तेज़ कर दिया है। इन कंपनियों द्वारा फैलाए गए असत्य व अर्धसत्य भी बहुत धूमधाम से प्रचारित होते हैं व देश के कई बड़े नेता व मंत्री तक वही कहते हैं जो ये कंपनियां प्रचारित करना चाहती हैं।

अतः देश की कृषि व खाद्य व्यवस्था की रक्षा के लिए सचेत रहना व जीएम फसलों के कुप्रचार का पर्दाफाश करना ज़रूरी हो गया है। हाल ही में भारत के लगभग 150 वैज्ञानिकों ने एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ जारी कर इन कंपनियों द्वारा फैलाए गए असत्यों व अर्धसत्यों का पर्दाफाश करने की महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्राप्त फसलों को संक्षेप में जी.ई. फसल या जी.एम. फसल कहते हैं। सामान्यतः एक ही प्रजाति की विभिन्न किस्मों से नई संकर किस्में तैयार की जाती रही हैं। पर जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसी भी प्रजाति के जीन का प्रवेश किसी अन्य प्रजाति में करवाया जाता है। जैसे आलू के जीन का प्रवेश टमाटर में करवाना या सूअर के जीन का प्रवेश टमाटर में करवाना। यह कार्य जीन बंदूक से पौधे की कोशिका पर बाहरी जीन दाग कर किया जाता है या किसी बैक्टीरिया में बाहरी जीन जोड़कर उससे पौधे की कोशिका का संक्रमण कराया जाता है।

जी.एम. फसलों के विरोध का एक मुख्य आधार यह रहा है कि ये फसलें स्वास्थ्य व पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित नहीं हैं तथा यह असर जेनेटिक प्रदूषण के माध्यम से अन्य सामान्य फसलों व पौधों में फैल सकता है। इस विचार को इंडिपेंडेंट साइंस पैनल ने बहुत सारगर्भित ढंग से व्यक्त किया है। इस पैनल में एकत्र हुए दुनिया भर के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों व विशेषज्ञों ने कहा है - "जीएम फसलों के बारे में जिन लाभों का वायदा किया गया था वे प्राप्त नहीं हुए हैं तथा ये फसलें खेतों में समस्याएं पैदा कर रहीं हैं। अब इस बारे में व्यापक सहमति है कि इन फसलों का प्रसार होने पर जीन प्रदूषण से बचा नहीं जा सकता है। अतः जी.एम. फसलें व गैर जी.एम. फसलें साथ-साथ नहीं रह सकतीं। जी.एम. फसलों की सुरक्षा भी प्रमाणित नहीं हो सकी है। इसके विपरीत पर्याप्त प्रमाण हैं जिनसे इन फसलों की सुरक्षा सम्बंधी गंभीर चिंताएं उत्पन्न होती हैं। यदि इनकी उपेक्षा की गई तो स्वास्थ्य व पर्यावरण की क्षति होगी जिसकी मरम्मत नहीं हो सकती है। जी.एम. फसलों को अब

दृढ़ता से खारिज कर देना चाहिए।"

यूनियन ऑफ कन्सर्न्ड साईंटिस्ट नामक वैज्ञानिकों के संगठन ने कुछ समय पहले अमरीका में कहा था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के उत्पादों पर फिलहाल रोक लगनी चाहिए क्योंकि ये असुरक्षित हैं। इनसे उपभोक्ताओं, किसानों व पर्यावरण को कई खतरे हैं।

कुछ समय पहले विवाद ने ज़ोर पकड़ा तो विश्व के 17 विख्यात वैज्ञानिकों ने भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस बारे में नवीनतम जानकारी उपलब्ध करवाई थी। पत्र में कहा गया है कि जीएम प्रक्रिया से गुज़रने वाले पौधे का जैव-रासायनिक संघटन बुरी तरह अस्त-व्यस्त हो जाता हैं जिससे उसमें नए विषैले या एलर्जी-जनक तत्वों का प्रवेश हो सकता है व उसके पोषण गुण कम हो सकते हैं या बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए सामान्य मक्का की तुलना में जीएम मक्का (जीएम एमओएन 810) में 40 प्रोटीनों की उपस्थिति महत्त्वपूर्ण हद तक बदल जाती है। जीव-जंतुओं को जीएम खाद्य खिलाने के अनेक अध्ययनों में किडनी, लीवर, आहार नली, रक्त कोशिकाओं, रक्त जैव रसायन व प्रतिरोधक क्षमता पर जीएम खाद्य के नकारात्मक असर सामने आ चुके हैं।

कई वैज्ञानिकों ने इन फसलों से जुड़े खतरे का सबसे महत्त्वपूर्ण पक्ष यह बताया है कि जो खतरे पर्यावरण में फैलेंगे उन पर हमारा नियंत्रण नहीं रह जाएगा व हम इनकी क्षतिपूर्ति नहीं कर पाएंगे। जेनेटिक प्रदूषण का मूल चरित्र ही ऐसा है। वायु प्रदूषण व जल प्रदूषण की गंभीरता पता चलने पर इनके कारणों का पता लगाकर नियंत्रित कर सकते हैं, पर जेनेटिक प्रदूषण हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाता है।

गौरतलब है कि जी.एम. फसलों का थोड़ा-बहुत प्रसार व परीक्षण भी काफी घातक हो सकता है। मूल मुद्दा यह है कि इनकी वजह से सामान्य फसलें भी दूषित हो सकती हैं। यह जेनेटिक प्रदूषण बहुत तेज़ी से फैल सकता है। यदि एक बार जेनेटिक प्रदूषण फैल गया तो दुनिया भर में अच्छी गुणवत्ता वाला सुरक्षित खाद्य हमसे छिन जाएगा।

जीएम फसलों की विशाल बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए यह समय बहुत संवेदनशील है। यदि जीएम फसल सम्बंधी सही जानकारी दुनिया के अधिकांश लोगों व सरकारों तक पहुंच गई तो उनका अब तक का अरबों डॉलर का निवेश भी खतरे में पड़ जाएगा और पर्यावरण, खेती व स्वास्थ्य के नुकसान का बड़ा मुआवज़ा भी देना पड़ सकता है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक बहुत अनैतिक उपाय अपनाती हैं - जिन वैज्ञानिकों का अनुसंधान इन कंपनियों के हितों के विरुद्ध होता है, उन वैज्ञानिकों व उनके अनुसंधानों को दबाने के कुप्रयास किए जाते हैं। इन कुप्रयासों के फलस्वरूप जो निष्ठावान वैज्ञानिक अनुचित तकनीकों व उत्पादों के विरुद्ध समय पर चेतावनी देना चाहते हैं, उनके मार्ग में तरह-तरह के अवरोध उत्पन्न किए जाते हैं। इस तरह की स्थिति पिछले कुछ समय से जीएम फसलों पर चल रहे वाद-विवाद के संदर्भ में स्पष्ट देखी जा सकती है। विश्व के अनेक विख्यात वैज्ञानिकों व शोधकर्त्ताओं ने समय पर इस तकनीक के खतरों के बारे में चेतावनी देने के प्रयास किए पर इन प्रयासों को तरह-तरह से दबाया गया।

इस विषय पर एक बहुत चर्चित पुस्तक है जैफ्री एम. स्मिथ की 'जेनेटिक रुले'। अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के कई विशेषज्ञों ने इस पुस्तक को अति मूल्यवान बताया है। इस पुस्तक में स्मिथ ने बताया है कि संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के खाद्य व औषधि प्रशासन के लिए जो तकनीकी विशेषज्ञ व वैज्ञानिक कार्य करते रहे हैं, वे वर्षों से जीएम उत्पादों से जुड़े हुए विभिन्न गंभीर संभावित खतरों के बारे में चेतावनी देते रहे थे, इसके लिए ज़रूरी अनुसंधान करवाने की ज़रूरत बताते रहे थे। पर यह काफी देर बाद पता चला कि इस तरह के जीएम उत्पादों पर जो प्रतिकूल राय होती थी, उसे यह सरकारी एजेंसी प्रायः दबा देती थी व जब वर्ष 1992 में प्रशासन ने जी.एम. उत्पादों के पक्ष में नीति बनाई तो इस प्रतिकूल वैज्ञानिक राय को गोपनीय रखा गया। पर सात वर्ष बाद जब इस सरकारी एजेंसी के गोपनीय रिकार्ड को एक अदालती मुकदमे के कारण खुला करना पड़ा व 44000 पृष्ठों में बिखरी नई जानकारी सामने आई तो पता चला कि वैज्ञानिकों की जो राय जीएम फसलों व उत्पादों के प्रतिकूल होती थी, उसे वैज्ञानिकों के विरोध के बावजूद

नीतिगत दस्तावेज़ों से हटा दिया जाता था।

इस संदर्भ में ध्यान देने योग्य बात यह है कि विश्व की सबसे बड़ी जीएम कंपनी द्वारा बड़े पैमाने पर अपना कार्य करवाने के लिए रिश्वत देने व भ्रष्टाचार फैलाने की बात सामने आ चुकी है व इसके लिए वह दंडित भी हो चुकी है। इसके बावजूद जब तमाम प्रमाणों व अध्ययनों की अवहेलना करते हुए उसके उत्पादों के खतरों को अधिकारी व मंत्री नज़रअंदाज़ करते हैं या इस ओर से आंख मूंद लेते हैं, तो क्या सरकार को सतर्क होकर इसकी जांच नहीं करवानी चाहिए? ***(स्रोत फीचर्स)***